फर्द अहकाम
नियम 26

अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा मुकाम भादरा
...सिंह बनाम किरसान आदि
किस्म मुकदमा 5-9 cpc Act नं० 07 / 13.06.18 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
13/6/2018	आज यह प्रकरण जरिये वकील वादी की ओर से पेश किया गया। रिपोर्ट रिमेदार होने के बाद प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 09.07.2018 को पेश है। RW	
9/7/18	वकील वादी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थी उप. पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते..ज.वा.ज..(?) दिनांक.6/8/18 को पेश हो। RW	
6/8/18	वकील वादी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थी उप. पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते..तलबी दिनांक.6:9:18..को पेश हो। RW	
6/9/18	पत्रावली पेश हुई बार सघं का कार्य स्थगित है। गत आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 25.10.18 को पेश हो। RW	
25/10/18	वकील वादी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थी उप. पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते..तलबी दिनांक.6.12.18....को पेश हो। RW	
6/12/18	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी......[illegible] दिनांक 30.1.19 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.06.20 17:57:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
2?/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 03/06/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 2?/05/24	
3/6/24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र अनवान 728/2002 निर्णय/आदेश दिनांक 05/05/2011 को रेस्टोर करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उपरोक्त वाद में संबंधित अधिवक्ता की दिमागी हालत सही होने व घर से लापता होने के कारण अधिवक्ता पैरवी नहीं कर सका। और न्यायालय द्वारा दिनांक 05/5/2011 को तलबी के अभाव में खारिज कर दिए गए थे। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किए जाकर वाद सं० 728/2002 को पुनः रेस्टोर कर सुनवाई का अवसर दिये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी जाकर व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र 151 CPC में वर्णित वाद खारिज [illegible] मु० नं० 728/[illegible] न्यायालय [illegible] द्वारा दिनांक [illegible] 2011 को तलबी के अभाव में खारिज किया गया थी। प्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेज में पैरवीकार अधिवक्ता के 30/7/2013 से (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.06.20 17:57:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व फर्द अहकाम हुक्म की जारी
	लापता होने के कुबर को माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय द्वारा आर्डर किया गया है। प्रार्थी द्वारा भी उक्त प्रार्थना पत्र 151 सी.पी.सी. दिनांक 13/6/2018 को न्यायालय हाजा में पेश किया गया है जो पत्रावली खारीज के लगभग 7 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा ऐसे किसी भी अभिमत को नहीं बताया गया है जिस पर न्यायालय में यह सिद्ध कर सके कि बाद खारीज से प्रार्थी को नुकसान हो रहा हो। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारीज किया जाता है। पत्रावली [illegible] दोम नम्बर से [illegible] सुमार दाखिल दफ्तर [illegible] जावे। 03/06/24	

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.06.20 17:57:31 IST
Reason: Self Attested

Scanned with OKEN Scanner